संख्या-6/2018/644/तीस-2-2018-03(66)/2003

प्रेषक,

आराधना शुक्ला,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम,
लखनऊ ।

परिवहन अनुभाग-2 **लखनऊः दिनांक 25 जुलाई, 2018**

विषयः- उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम में मृतक आश्रितों के सेवायोजन पर लगे प्रतिबन्ध को शिथिल करते हुए 587 मृतक आश्रितों की नियुक्ति की अनुमति प्रदान करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-57सीईएनटी/जी/2018-17निगम/93-2017, दिनांक-01 मार्च, 2018 एवं पत्र संख्या-152 सीईएनटी/जी/2018-17निगम/93-2017, दिनांक-16 अप्रैल, 2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिनके द्वारा प्रदेश में बस संचालन के माध्यम से जनता को कुशल, सुविधाजनक एवं सस्ती परिवहन सेवा उपलब्ध कराये जाने हेतु क्षेत्रो/इकाईयों से दिनांक 26 फरवरी,2018 तक प्राप्त प्रस्तावों के अनुसार तैयार की गयी अनन्तिम सूची के आधार पर 587 मृतक आश्रितों को उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम में सेवायोजित / नियुक्त किये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक विचारोपरान्त उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम में चालकों/परिचालकों के उत्पादक पदों की रिक्तियों को आंशिक रूप से पूर्ण कर जनहित में बसों की सुचारू संचालन व्यवस्था बनाये रखने एवं मृतक आश्रितों को मानवीय आधार पर तत्काल सहायता प्रदान किये जाने हेतु सार्वजनिक उद्यम विभाग के शासनादेश संख्या-05वी0आई0पी0/44-2-2003-2/च0स0/88,दिनांक 11 जुलाई, 2003 में मृतक आश्रितों के सेवायोजन पर लगे प्रतिबन्ध को अपवाद स्वरूप शिथिल करते हुए उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम में चालकों/परिचालकों के उत्पादक पदों पर 587 मृतक आश्रितों की नियुक्ति किये जाने का निर्णय लिया गया है।

3- उक्त 587 मृतक आश्रितों की चालक/परिचालक के पद पर नियुक्ति किये जाने से पूर्व उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि :-

(1) उक्त 587 पद नियमानुसार स्वीकृत एवं सृजित है तथा वास्तविक रूप से 587 रिक्तियां उपलब्ध है।

http://shasanadesh.up.nic.in

(2) 587 मृतक आश्रितों की नियुक्ति के फलस्वरूप चालक/परिचालक के रूप में कार्यरत कुल कार्मिकों (नियमित /संविदा/ मृतक आश्रित व अन्य किसी स्रोत से रखे गये)की संख्या किसी भी परिस्थिति में नियमानुसार स्वीकृत एवं सृजित पदों की संख्या से अधिक नहीं होगी तथा निर्धारित पदो की संख्या से अधिक चालक/परिचालक होने की स्थिति में सरप्लस संविदा चालकों/परिचालकों की तत्काल कमी कर दी जायेगी।

(3) उक्त मृतक आश्रितों की नियुक्ति पर आने वाला वित्तीय व्यय-भार उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा स्वयं अपने स्रोतो से वहन किया जायेगा तथा इस सम्बन्ध में शासन द्वारा कोई वित्तीय सहायता वर्तमान अथवा भविष्य में नही दी जायेगी ।

(4) उक्त 587 मृतक आश्रितों की नियुक्ति की कार्यवाही मृतक आश्रित नियमावली-1974 के प्राविधानों के अनुरूप सुनिश्चित की जायेगी एवं नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा उनकी नियुक्ति से पूर्व नियमानुसार अर्हता / पात्रता सुनिश्चित करते हुए समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करने के उपरान्त ही नियुक्ति आदेश निर्गत किये जायेंगे ।

(5) परिवहन निगम द्वारा मृतक आश्रितों की नियुक्ति से पूर्व 587 मृतक आश्रितों की अन्तिम सूची सहित शासन को इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जायेगा कि उक्त सूची में दिनांक 26 फरवरी, 2018 तक परिवहन निगम मुख्यालय में प्राप्त मृतक आश्रितों के समस्त प्रकरणों को सम्मिलित किया गया है ।

4- उक्त 587 मृतक आश्रितों की सूची को अंतिमीकृत करते समय यह भी सुनिश्चित किया जाय कि दिनांक 26 फरवरी, 2018 तक परिवहन निगम मुख्यालय में प्राप्त आवेदन पत्रों के आवेदक का दावा, पात्रता एवं अभ्यर्थन पूर्णत: निर्विवादित है तथा किसी भी मा0 न्यायालय अथवा अधिकरण में उनके सम्बन्ध में कोई वाद लंबित/विचाराधीन नहीं है। यदि उक्त तिथि दिनांक 26 फरवरी, 2018 से पूर्व मृत किसी नियमित कार्मिक के आश्रित के सम्बन्ध में किसी मा0 न्यायालय अथवा अधिकरण द्वारा कोई निर्णय/आदेश पारित किया गया हो तो उसका संज्ञान लेते हुये ही रिक्त पदों को नियमानुसार भरने / आस्थगित रखने की कार्यवाही भी सुनिश्चित की जाए।

5- इसके अतिरिक्त दिनांक 26 फरवरी, 2018 से पूर्व के परिवहन निगम के उन मृत कार्मिको की सूची भी उपलब्ध करायी जाए, जिनके आश्रितों द्वारा सेवायोजित किये जाने का आवेदन दिनांक 26 फरवरी, 2018 के पश्चात् किया गया है।

6- कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें ।

भवदीया,

ह०

(आराधना शुक्ला)

प्रमुख सचिव,

http://shasanadesh.nic.up

संख्या-6/2018/644(1)/तीस-2-2018-03(66)/2003 तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), परिवहन विभाग, उ0प्र0 शासन ।
2- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन ।
3- प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन ।
4- प्रमुख सचिव, वित्त/सार्वजनिक उद्यम विभाग, उ0प्र0 शासन ।
5- अध्यक्ष, उत्तर पदेश राजय सड़क परिवहन निगम, लखनऊ ।
6- महानिदेशक, सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो, जवाहर भवन, लखनऊ ।
7- गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,
ह०
(जिन्नूरैन अहमद खॉ)
विशेष सचिव ।

http://Shasanadesh.nic.up